बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक :......05...... दिनांक ....3/3/2009....

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

\+ \+ \+

उपाध्यक्ष
★ शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

\+ \+ \+

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

\+ \+ \+

संयुक्त सचिव
★ राजयनन्द बड़ियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

★ अनिल कुमार
(M) 9431409463

\+ \+ \+

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

\+ \+ \+

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

सेवा में,
आरक्षी महानिदेशक,
बिहार, पटना ।

विषयः–**हिलसा थाना काण्ड संख्या 452/98 में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री जय नारायण झा को भयादोहन करने के उद्देश्य से परेशान करने के संबंध में ।**

महाशय,

श्री जय नारायण झा, बि0प्र0से0 जो वर्तमान में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल, दरभंगा के पद पर पदस्थापित हैं, के द्वारा एक पत्र बिहार प्रशासनिक सेवा संघ को दिया है (प्रतिलिपि संलग्न)। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 10 वर्ष से पूर्व की यह घटना है जिसके अनुसंधान के समय अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी, हिलसा ने अपने पर्यवेक्षण टिप्पणी ज्ञापांक 1311 दिनांक 20–6–2000 तथा आरक्षी अधीक्षक, नालन्दा ने अपने पर्यवेक्षण टिप्पणी ज्ञापांक 4263 दिनांक 27–6–2000 में मात्र कनीय अभियंता राजेन्द्र कुमार चौधरी के खिलाफ आरोप सत्य पाया था तथा अन्य के खिलाफ साक्ष्य एकत्र करने का निदेश दिया था। बिना इसकी जांच कराये हुए 10 वर्षों के बाद उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, जबकि इस मामले का सही ढंग से अनुसंधान ही नहीं हुआ।

बिना जिला पदाधिकारी, नालन्दा की अनुमति से यह प्राथमिकी दर्ज की गयी है। जिसके लिए जिला पदाधिकारी, नालन्दा ने अपने पदाधिकारियों से इस संबंध में पत्राचार भी किया है, जो सलग्न आवेदन में अनुलग्नक के रूप में है।

आपसे अनुरोध है कि पदाधिकारियों के साथ अति उत्साह मे क्षेत्रीय आरक्षी पदाधिकारी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करें, जिसके चलते जहाँ एक ओर पदाधिकारी प्रताड़ित होते हैं वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक माहौल में भी सद्भावना की कमी हो जाती है, जिससे विकास कार्य भी अवरुद्ध होता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वरीय पदाधिकारियों से इस घटना की जांच कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
(ए0 सी0 मिश्र)
अध्यक्ष

My document\Basa\Hilsa thana kand letter 03.03.09